

अध्याय-4 → अपशिष्ट प्रबन्धन

लेखापरीक्षा उद्देश्य 3

यह सत्यापन के लिए क्या कार्यशालाओं, शेडों और उत्पादन ईकाईयों में उत्पन्न अपशिष्ट का प्रबन्ध विधियों, नियमों और विनियमों के अनुपालन में किए गए थे।

कार्यशालाओं, शेडों, डिपो और उत्पादन ईकाईयों में उत्पन्न अपशिष्ट सामान्यतः खतरनाक अपशिष्ट हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी खतरनाक अपशिष्ट नियमावली 2008⁷⁶ (प्रबन्धन, प्रहस्तन और सीमा से परे (संचलन) खतरनाक अपशिष्ट की परिभाषा एक ऐसे अपशिष्ट के रूप में की है जो अपने किसी भौतिक, रसायनिक, प्रतिक्रियाशील, विषैली ज्वलनशील, विस्फोटक अथवा क्षयकारी विशेषता द्वारा खतरे का कारण अथवा स्वास्थ्य या पर्यावरण को चाहे अकेले अथवा जब अन्य अपशिष्ट या सत्त्व के सम्पर्क से खतरे की संभावना है, के रूप में की है। कार्यशालाओं/शेडों और उत्पादन ईकाईयों द्वारा उत्पादित खतरनाक अपशिष्ट जैसे तेल, रसायनिक अवमल, ईटीपी अवमल, पेंट फ्लैक्स आदि को अन्य अपशिष्टों से अलग करना और एसपीसीबी/सीपीसीबी द्वारा निर्धारित कार्यविधियों के अनुसार अंतिम निपटान से पूर्व उचित से भंडारित करना अपेक्षित है।

4.1 खतरनाक अपशिष्ट का प्रबन्धन

4.1.1 खतरनाक अपशिष्ट प्रहस्तन के लिए प्राधिकार

खतरनाक अपशिष्ट (प्रबन्धन, प्रहस्तन और सीमा से परे संचलन) नियमावली, 2008 के नियम 5(1) के अनुसार कार्यशालाओं, शेडों और उत्पादन ईकाईयों को

⁷⁶ भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

खतरनाक अपशिष्ट प्रहस्तन के लिए एसपीसीबी से प्राधिकार प्राप्त करना अपेक्षित है। खतरनाक अपशिष्ट प्रहस्तन के लिए प्राधिकार के नवीकरण के लिए प्राधिकार समाप्ति से 60 दिनों अग्रिम में आवेदन करना होता है।

खतरनाक अपशिष्ट प्रहस्तन के लिए एसपीसीबी द्वारा प्राधिकार से संबंधित चयनित ईकाईयों के अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नवत पता चला:

- I. खतरनाक अपशिष्ट प्रहस्तन के लिए प्राधिकार 15 कार्यशालाओं और 17 शेडों (23 प्रतिशत) द्वारा प्राप्त किया गया था। दो शेडों में⁷⁷ खतरनाक अपशिष्ट प्रहस्तन के लिए प्राधिकार वर्धमान/डीजल शेड/ईआर द्वारा एसपीसीबी को फार्म 4⁷⁸ प्रस्तुत न करने के कारण जून 2010 के बाद बढ़ाया नहीं गया था और बैंगलूरु स्कैप यार्ड (ईआर) के मामले में डब्ल्यूबीपीसीबी से प्राधिकार का नवीकरण अभी भी लम्बित है;
- II. छह कार्यशालाओं और बारह शेडों में प्राधिकार प्राप्त नहीं किया गया था क्योंकि इन कार्यशालाओं और शेडों में कोई खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न नहीं किया जाता था;
- III. 28 कार्यशालाओं और 60 शेडों द्वारा खतरनाक अपशिष्ट प्रहस्तन के लिए प्राधिकार प्राप्त नहीं किया गया था; और
- IV. छह उत्पादन ईकाईयों में से डीएलडब्ल्यू/वाराणसी ने जुलाई 2009 से खतरनाक अपशिष्ट के लिए प्राधिकार प्राप्त नहीं किया था। डीएलडब्ल्यू/वाराणसी ने इस संबंध में कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की है (जून 2014)।

⁷⁷ वर्धमान डीजल शेड/ईआर और बैंगलूरु स्कैप यार्ड/ईआर

⁷⁸ फार्म 4 खतरनाक अपशिष्ट के प्रहस्तन के संबंध में विवरणी दाखिल करने का फार्म। यह उत्पादित अपशिष्ट की श्रेणी, अपशिष्ट शोधन के विवरण, अपशिष्ट निपटान प्रचालन आदि इंगित करता है।

4.1.2 संचयन एवं लेखांकन

खतरनाक अपशिष्ट का यदि आवधिक रूप से निपटान नहीं किया जाता तो पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन सकता है। खतरनाक अपशिष्ट (प्रबन्धन प्रहस्तन और सीमा से परे संचलन) नियमावली, 2008 के नियम 7 के अनुसार खतरनाक अपशिष्ट के अधिभोगकर्ता नव्वे दिन अधिक दिनों तक इसका भंडारण कर सकते हैं।

खतरनाक अपशिष्ट (प्रबन्धन, प्रहस्तन और सीमा से परे संचलन) नियमावली, 2008 के अनुसार खतरनाक अपशिष्ट प्रहस्तन के लिए प्राधिकृत प्रत्येक संगठन फार्म 3⁷⁹ में उनके द्वारा प्रहस्तित खतरनाक अपशिष्ट के अभिलेख रखेंगे। खतरनाक अपशिष्टों के प्रहस्तन के लिए प्राधिकृत संगठन अनुवर्ती वित्त वर्ष के 30 जून अथवा उससे पूर्व जिससे वह विवरणी संबंधित हैं, को फार्म 4 में निर्दिष्ट विवरण सम्मिलित करते हुए वार्षिक विवरणी एसपीसीबी के लिए तैयार करना और प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

2009-12 के दौरान रेलवे कार्यशालाओं, शेडों और उत्पादन ईकाईयों में उत्पादित खतरनाक अपशिष्ट के संचयन के उदाहरण का विवरण नीचे दिया है:

तालिका3: खतरनाक अपशिष्टों का संचयन

कार्यशाला/शेड/उत्पादन ईकाईयां	मात्रा एमटी	अपशिष्ट का विवरण
इंटेरगरल कोच फैक्टरी पैराम्बूर, चेन्नै	183.94	पेंट फ्लेक्स, लेजर कटिंग डस्ट, रसायनिक अवमल, फासफेट अवमल, प्रयुक्त तेल आदि
चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन	6.1	दृढ़ीकारक नमक, उत्सर्जित टेप
यांत्रिक कारखाना/	108.00	रद्दीमाल, पेंट फासफेटिंग संयंत्र

⁷⁹ फार्म 3- सुविधा के लिए खतरनाक अपशिष्टों के अभिलेखों के रखरखाव के लिए फार्मेट। यह विवरण, भंडारण की पद्धति, शोधन और निपटान, पुनः प्रयुक्त और रिसाइकल्ड खतरनाक अपशिष्टों के विवरण के अतिरिक्त परिवहन का तरीका अभिलिखित करता है।

इज्जतनगर (एनईआर)		और ईटीपी से अवमल
लोको शेड/गोड़ा (एनईआर)	54.00	फिल्टर, गास्केट और रबर
फैरियज और वर्कशॉप/पेराम्बूर (एसआर)	9.27	ईटीपी फास्फेट और बोस्क टैंक से अवमल, तेल और तेल पैंट सोकड काटन वेस्ट मिश्रित कीचड और कूड़ा करकट
हालीशहर भंडार डिपो, बेलूर स्क्रैप यार्ड और जमालपुर स्टोर्स डिपो(ईआर)	मात्रा उपलब्ध नहीं क्योंकि खतरनाक अपशिष्ट के अभिलेख फार्म 3 में अनुरक्षित नहीं थे।	लीड एसिड बैटरी, कोपर संख्या लैम्प, ब्रास, तांबा, गन मेटल आदि
सिगनल वर्कशॉप/हावड़ा (ईआर)	3.1	गन मेटल, खाली पैट इम, एल्युमिनियम रद्दीमाल, ब्रास रद्दीमाल, तांबा तार आदि

इस प्रकार अलग-अलग एसपीसीबीज से खतरनाक अपशिष्ट प्रहस्तन के लिए प्राधिकार प्राप्त करने में विफलता और कार्यशालाओं, शेडों और उत्पादन ईकाईयों में खतरनाक अपशिष्टों के भारी मात्रा में संचयन प्रावधानों का उल्लंघन दर्शाता है जो नव्ये दिनों से अनधिक अवधि के लिए खतरनाक अपशिष्ट के भंडारण का निषेध करता है।

4.1.3 प्रलेखन

खतरनाक अपशिष्ट (प्रबन्धन, प्रहस्तन और सीमा से परे संचलन) नियमावली, 2008 के नियम 22 में प्रावधान है कि खतरनाक अपशिष्टों के उत्पादन का अधिभोगकर्ता और खतरनाक अपशिष्ट के निपटान के लिए सुविधा का प्रचालक ऐसे प्रचालनों का फार्म 3 में अभिलेख का रख रखाव करेगा। खतरनाक अपशिष्ट के प्रहस्तन के लिए प्राधिकृत 15 कार्यशालाओं और 17 शेडों तथा उत्पादन

ईकाईयों में 2009-12 के दौरान उत्पादित खतरनाक अपशिष्टों से संबंधित अभिलेखों के रख रखाव की समीक्षा से निम्नवत का पता चला:

- I. दो कार्यशालाओं और पांच शेडों⁸⁰ ने फार्म 3 में यथा निर्धारित पूर्ण अभिलेख का रख रखाव किया। शेष 13 कार्यशालाओं और 12 शेडों (78 प्रतिशत) ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान पूर्ण अभिलेख का रखरखाव नहीं किया। अभिलेखों के उचित रखरखाव के अभाव में तीन स्टोर डिपो⁸¹ के संबंध में संचित मात्रा का सत्यापन लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका;
- II. 15 कार्यशालाओं और 17 शेडों में से केवल नौ कार्यशालाओं और तीन शेडों ने फार्म 4 में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत की;
- III. 2007-12 अवधि के दौरान डीएलडब्ल्यू/वाराणसी जहां न तो फार्म 3 में अभिलेखों के रखरखाव किए गए थे न ही फार्म 4 में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत की गई को छोड़कर सभी उत्पादन ईकाईयों ने फार्म 3 में अभिलेखों का रखरखाव किया और फार्म 4 में वार्षिक विवरणी दाखिल की; और
- IV. अपशिष्ट की मात्रा जिसका निपटान कार्यशालाओं, शेडों और उत्पादन ईकाईयां द्वारा किया जा सकता था, मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र में पृष्ठांकित किया जाता है। अपशिष्ट की वास्तविक मात्रा को सीपीसीबी द्वारा जारी पास बुक में नोट किया जाता है। तथापि, यह जून 2006 में डब्ल्यूबीपीसीबी द्वारा बताए जाने के बावजूद हालीशहर स्टोर्स डिपो/ईआर में यह नहीं किया गया था। एनडब्ल्यूआर में तीन कार्यशालाओं और पांच शेडों में किसी को एसपीसीबी द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी नहीं किए गए थे। परिणामतः यह सत्यापित नहीं किया जा सका क्या निपटान की गई मात्रा प्राथिकृत सीमा के अन्दर थी।

⁸⁰ सीआरडब्ल्यू/बीबीएस, डीएलएस/न्यू कटनी जंकशन, डीएलएस/जीवाई, डीएलएस केजेडआई, एलएस/कृष्णराज पुरम, आरएसके/ एसटीएलभाई और डब्ल्यूआरएस/कोटा

⁸¹ हालीशहर स्टोर्स डिपो, बेलुर स्कैप यार्ड और जमालपुर स्टोर्स डिपो

इस प्रकार, कार्यशालाएं और शेड खतरनाक अपशिष्टों से संबंधित अभिलेखों संबंधी सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहे। क्षेत्रीय रेल प्रशासन सांविधिक बाध्यता के लागू करने में प्रभावी नहीं था जबकि 78 प्रतिशत इकाईयां फार्म 3 के अनुसार अभिलेख रखने में विफल रहीं।

4.1.4 प्रहस्तन और निपटान

खतरनाक अपशिष्ट मालसूची प्रणाली जनरेटर जहां इसका उत्पादन होता है इसके छोड़ने के समय से तब तक खतरनाक अपशिष्ट का पता लगाने के लिए अभिकल्पित फार्मा, रिपोर्टों और कार्यविधियों का एक सेट है जब तक यह कार्य स्थल से दूर अपशिष्ट प्रबन्धन तक पहुंच नहीं जाता जो खतरनाक अपशिष्ट का भंडार, शोधन अथवा निपटान करेगा।

खतरनाक अपशिष्ट (प्रबन्धन प्रहस्तन और सीमा से परे प्रहस्तन) नियमावली, 2008 के नियम 4(2) के अनुसार उत्पादित खतरनाक अपशिष्ट सीपीसीबी द्वारा पंजीकृत या प्राधिकृत रिसाइक्लर अथवा रि-प्रोसेसर अथवा रि-यूजर के पास भेजना या बेचना चाहिए अथवा अधिकृत निपटान सुविधा में बेचा जाना चाहिए।

खतरनाक अपशिष्ट (प्रबन्धन और प्रहस्तन) नियमावली, 2008 के अनुसार खतरनाक अपशिष्ट का निपटान करने वाले क्षेत्रीय रेलों छह कलर कोड में मालसूची की छह प्रतियां तैयार करेगा। मालसूची की नीली प्रति⁸² अपशिष्ट के शोधन और निपटान के बाद क्षेत्रीय रेलों को रिसाइक्लर/प्रचालक द्वारा वापस करना अपेक्षित है। नियम में यह भी प्रावधान है कि खतरनाक अपशिष्ट जनरेटर और नीलामीकर्ता से संबंधित एसपीसीबी को प्रत्येक वर्ष अधिक से अधिक 31

⁸² खतरनाक अपशिष्ट (प्रबन्धन, प्रहस्तन और सीमा से परे संचलन) नियमावली, 2008 के अनुसार खतरनाक सामग्री/अपशिष्टों का शोधन और निपटान के बाद मालसूची की नीली प्रति सुविधा के प्रचालक द्वारा अधिभोगकर्ता का वापस किया जाना है।

जनवरी तक फार्म 13⁸³ में नीलामी और बिक्री की वार्षिक विवरणी दाखिल करना अपेक्षित है।

चयनित ईकाईयों द्वारा खतरनाक अपशिष्ट के निपटान की पद्धति का लेखापरीक्षा में समीक्षा से निम्नवत पता चला:

- I. पांच क्षेत्रीय रेलवे⁸⁴ में केवल छह कार्यशालाओं और चार शेडों (सात प्रतिशत) में मालसूची प्रणाली अपनाई गई थी। इनमें एक कार्यशाला और दो शेडों⁸⁵ में मालसूची में प्रविष्टियां आंशिक रूप से भरी गई थी। रिसाइक्लर से नीली प्रति की प्राप्ति निगरानी केवल दो शेडों⁸⁶ में की गई थी और परिणाम स्वरूप अपशिष्टों का उचित शोधन और निपटान सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
- II. एनसीसी/वीएसकेपी (ईसीओआर) में उत्पादित अपशिष्ट तेल सीधे खुले मैदान में छोड़ा गया था। दो कार्यशालाओं और एक शेड⁸⁷ में खतरनाक अपशिष्ट जैसे कंडम रबर गास्केट, ब्रेब्लाक, ग्रीस और तेल युक्त काटन वेस्ट, आयल फिल्टर आदि दाहित्र में जलाकर निपटाए नहीं गए थे।
- III. अभियांत्रिकी कार्यशाला/ सीनी (एसईआर) में खतरनाक अपशिष्ट जैसे 1.5 मी.ट. प्रतिवर्ष तक उत्पादित ग्लू पेंट, तेल युक्त कपास वेस्ट का निपटान रेलवे परिसर के बाहर किया जा रहा था।

⁸³ फार्म 13 किसी विशेष वर्ष के दौरान नीलामी किए गए अथवा बेचे गए अपशिष्टों की कुल मात्रा चित्रित करता है। अपशिष्टों में गैर-फेरस मेटल वेस्ट, प्रयुक्त तेल और अपशिष्ट तेल शामिल हैं।

⁸⁴ एसईसीआर, एसईआर, एसडब्ल्यूआर, डब्ल्यूसीआर और एनसीआर

⁸⁵ सीडब्ल्यूएस/मैसूर (एसडब्ल्यूआर), आरएसके/एसटीएलआई (एनसीआर) और डीएलएस/इटारसी (डब्ल्यूसीआर)

⁸⁶ डीएलएस/नागपुर (एसईसीआर) और डीएलएस/इटारसी (डब्ल्यूसीआर)

⁸⁷ यांत्रिक कार्यशाला/न्यू बॉगइगांव (एनएफआर), ईएमयू कार शेड/ एमएलवाई (एससीआर) और अभियांत्रिकी कार्यशाला/सावरमती (डब्ल्यूआर)।

- IV. वैगन मरम्मत शाला/आरवाईपी (एससीआर) में खतरनाक अपशिष्ट जैसे ग्रीस और तेल युक्त काटन वेस्ट का उपयोग दाहिने में जलाने की बजाए लोहार शाला की भट्टी में किया गया था।
- V. वर्धमान और अंडाल डीजल शेड (ईआर) में निर्मुक्त बैटरी एलेक्ट्रोलाइट्स को उचित निपटान के लिए एसपीसीबी की अधिकृत एजेंसियों के सुपुर्द करने की बजाय नालियों के माध्यम से निपटाए जा रहे थे।
- VI. डीजल लोको शेड/वतवा (डब्ल्यूआर), ईएमयू कार शेड/कांदीवली (डब्ल्यूआर), कोचिंग डिपो/बांद्रा (डब्ल्यूआर), इलेक्ट्रिक लोको शेड/वडोदरा (डब्ल्यूआर), कोचिंग डिपो/अहमदाबाद (डब्ल्यूआर), में तेल संदूषित काटन कपड़ों (45.1 मी.ट.) का निपटान दाहिने में जलाकर बिना पृथक्करण के म्यूनिसिपल अपशिष्ट के साथ किया गया था।
- VII. डीएलडब्ल्यू (अपशिष्ट तेल के लिए) को छोड़कर सभी उत्पादन ईकाईयों ने खतरनाक अपशिष्ट बेचते समय कार्यविधि का अनुपालन किया और फार्म 3 में एसपीसीबी को वार्षिक विवरणी प्रस्तुत की। तथापि, आईसीएफ (पेरम्बूर/चेन्नै) ने खतरनाक अपशिष्टों के उचित शोधन और निपटान सुनिश्चित करने के लिए रिसाइक्लर से नीली प्रति की प्राप्ति की निगरानी नहीं की।

इस प्रकार, अपशिष्टों के निपटान के लिए कार्यशालाओं और शेडों द्वारा अपनाई गई क्रियाविधि पर्यावरण अनुकूल नहीं थी। चयनित ईकाईयों में से, 43 कार्यशालाओं और 89 शेडों में सुस्पष्ट प्रणाली का अनुसरण नहीं किया गया था।

4.1.5 पर्यावरण प्रभाव निर्धारण

पोषणीय विकास के लिए प्राकृति संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण प्रभाव निर्धारण (ईआईए) एक महत्वपूर्ण प्रबन्धक यंत्र है। विकासात्मक क्रियाकलापों की 29 श्रेणियों के लिए ईआईए पर्यावरणीय (संरक्षण)

अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अनिवार्य है। इसमें व्यवस्था है कि सुविधा के प्रचालक, अधिभोगकर्ता अथवा अधिभोगकर्ताओं का कोई संघ चयनित कार्यस्थलों का ईआईए का उत्तरदायित्व लेगा और ईआईए प्रतिवेदन एसपीसीबी को प्रस्तुत करेगा। कार्यस्थल अथवा कार्यस्थलों के अनुमोदन के बाद राज्य सरकार कार्यस्थल/(लों) का अधिग्रहण करेगी अथवा अधिभोगकर्ता या सुविधा के किसी प्रचालक या अधिभोगकर्ताओं के किसी संघ को खतरनाक अपशिष्टों के शोधन, भंडारण और निपटान के लिए सुविधा स्थापित करने के लिए स्थल (लों) को प्राप्त करने के लिए सूचना देगी।

चयनित ईकाईयों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि खतरनाक अपशिष्ट प्रहस्तन के लिए प्राधिकृत 15 कार्यशालाओं और 17 शेडों और छह उत्पादन ईकाईयां में से ईआईए का आयोजन केवल दो कार्यशालाओं और दो शेडों (13 प्रतिशत)⁸⁸ और केवल एक उत्पादन ईकाई (आरडब्ल्यूएफ/येलहंका) में किया गया था। रेलवे बोर्ड ने ईआईए आयोजन के लिए दबाब नहीं डाला।

4.1.6 खतरनाक अपशिष्ट का पुनः उपयोग और रिसाइकिलिंग

पर्यावरण पर दबाब को कम करने के लिए रियूज और रि-साइकिलिंग महत्वपूर्ण है। सीपीसीबी द्वारा जारी खतरनाक अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए विज्ञप्ति स्पष्ट करती है कि खतरनाक अपशिष्ट के दक्ष प्रबन्धन में परम्परा है उसको कम करना, पुनः उपयोग, रिसाइकिल, पुनःप्रक्रियागत करना और अन्त में इको-फ्रेंडली ढंग से अपशिष्टों का निपटान करना है।

चयनित ईकाईयों में खतरनाक अपशिष्टों के पुनः उपयोग से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नवत पता चला:

⁸⁸ सी एण्ड डब्ल्यू कार्यशालाएं/लिलुहा (ईआर), सेन्ट्रल कार्यशालाएं/मैसूर (एसडब्ल्यूआर), डीएलएस/इटारसी (डब्ल्यूसीआर) और आरएसके/एसटीएलआई (एनसीआर)

- I. 11 क्षेत्रीय रेलों⁸⁹ में केवल एक कार्यशाला और 16 शेडों (12 प्रतिशत) ने खतरनाक अनुसूची के दौरान निष्कासित स्नेहक तेल के पुनः उपयोग की संभावना की तलाश के लिए प्रयोगशाला में नमूनों की जांच की। इस प्रकार, जांच किए गए तेल का पुनः उपयोग आरएसके/एसटीएलआई (एनसीआर) को छोड़कर इस सभी ईकाईयों में किया गया था।
- II. वैगन मरम्मत कार्यशाला/कोटा (डब्ल्यूसीआर) में अपशिष्ट ग्रीस (25.728 मी.ट.), अपशिष्ट तेल (4.27 मी.ट.) जिसका उत्पादन 2009-12 के दौरान किया गया, का भट्टी में पुनः उपयोग किया गया। इलेक्ट्रिक लोको शेड/इटारसी (डब्ल्यूसीआर) में वर्ष 2009-11 के दौरान उत्पादित प्रयुक्त ग्रीस (10.90 मी.ट.) टीएफपीआईएल (47.0 मी.ट.), सस्पेंशन आइल (25.50 मी.ट.) पुनः प्रयोग के लिए अभियांत्रिकी विभाग को जारी किया गया था। दोनों कार्यशालाओं में अपशिष्ट तेल के पुनः उपयोग से पहले इसकी उपयुक्तता के लिए जांच नहीं की गई थी।
- III. सभी छह उत्पादन ईकाईयों में रखरखाव अनुसूची के दौरान निष्कासित अपशिष्ट तेल और स्नेहक तेल का पुनः उपयोग नहीं किया गया था। इस प्रकार, अपशिष्टों के पुनः उपयोग में कार्यशालाओं और शेडों के प्रयास बहुत अधिक नहीं थे। जबकि केवल एक कार्यशाला और पन्द्रह शेड अपशिष्ट तेल का उपयोग कर सके वहीं किसी भी उत्पादन ईकाई ने अपशिष्ट तेल का उपयोग नहीं किया जो प्रदूषण को न्यूनतम करने की आवश्यकता की निम्न प्राथमिकता को दर्शाता हैं।

4.2 प्रयुक्त बैटरियों का निपटान

बैटरीज (प्रबन्धन और प्रहस्तन) नियमावली, 2001 के अनुसार प्रयुक्त बैटरियों की बिक्री केवल पंजीकृत रिसाइक्लर को करना अपेक्षित है। नियमों में प्रयुक्त बैटरियों के निपटान से संबंधित विवरण निर्दिष्ट करते हुए एसपीसीबी को फार्म

⁸⁹ सीआर, ईसीओआर, एनसीआर, एनएफआर, एनआर, एनडब्ल्यूआर, एससीआर, एसईआर, एसडब्ल्यूआर और डब्ल्यूआर

VIII⁹⁰ में अर्धवार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए प्रावधान है। इसमें यह भी प्रावधान है कि उपभोक्ता की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि प्रयुक्त बैटरियों का निपटान व्यापारी, विनिर्माता, पंजीकृत रिसाइकलर, रिकंडीशनर अथवा अभिकल्पित संग्रहण केन्द्रों में जमा करने में इतर किसी तरह नहीं किया जाता है।

चयनित ईकाईयों में से 32 कार्यशाला और 70 शेडों बैटरियों का उपयोग कर रहे थे। उपर्युक्त ईकाईयों में वर्तमान प्रावधानों के अनुपालन से संबंधित अभिलेखों की जांच से निम्नलिखित कमियों का पता चला:

- I. छह क्षेत्रीय रेलों⁹¹ में पांच कार्यशालाओं और तीन शेडों (आठ प्रतिशत) द्वारा ही अर्धवार्षिक विवरणी दाखिल की गई;
- II. सभी क्षेत्रीय रेलों में 14 कार्यशालाओं और 46 शेडों (59 प्रतिशत) ने पंजीकृत रिसाइकलर्स को प्रयुक्त बैटरियों की बिक्री/नीलामी नहीं की। प्रयुक्त बैटरियां खुले स्थान में निपटान के लिए रखी गई थीं;
- III. छह उत्पादन ईकाईयों में से केवल दो उत्पादन ईकाईयों (सीएलडब्ल्यू/चितरंजन और आईसीएफ/चेन्नै) द्वारा विवरणियां प्रस्तुत की गई थीं। तथापि, सभी उत्पादन ईकाईयों ने प्रयुक्त बैटरियों को केवल पंजीकृत रिसाइकलर्स को बेची।

रेलवे बोर्ड ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2013) में बताया कि प्रयुक्त लीड एसिड बैटरियां केवल रिसाइकलर्स को बेची/नीलामी की जा रही थी जो एमओईएफ में पंजीकृत है। रेलवे बोर्ड का तर्क ऊपर II में उल्लिखित लेखापरीक्षा निष्कर्षों के दृष्टिकोण से स्वीकार्य नहीं है। इसके अतिरिक्त, रेलवे बोर्ड का उत्तर प्रयुक्त बैटरियों के खुले में भंडारण के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणी पर मौन है। खुले क्षेत्रों में प्रयुक्त बैटरियों का भंडारण व्यय किए गए एसिड साव से प्रदूषण के लिए पर्यावरण अरक्षित था।

⁹⁰ बैटरी (प्रबंधन और प्रहस्तन) नियमावली, 2001 के अनुसार एसपीसीबी को फार्म VII में अर्धवार्षिक विवरणी दाखिल करने के लिए बल्कि उपभोक्ता की जिम्मेदारी होगी।

⁹¹ ईआर, एनडब्ल्यूआर, एसआर, एसडब्ल्यूआर, डब्ल्यूसीआर और डब्ल्यूआर